



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-03062025-263566
CG-UP-E-03062025-263566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2404]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 2404]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 2 जून, 2025

का.आ. 2463(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के पत्र के खंड (75) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिलों एवं स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्यों में छितौनी-तमकुही खण्ड को नई रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क.सं.	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश
2.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	पश्चिम चंपारण, बेतिया	बिहार

[फा. सं. W/Con/247/CTE-TOI/LandAcquisition/UP]
अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 2nd June, 2025

S.O. 2463(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of "Chhitauni-Tamkuhi Road New Line Special Railway" in the districts mentioned in column (3) and in the states mentioned in column(4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

Special Railway Project

S. No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	"Additional District Magistrate (Judicial) - Kushinagar"	Kushinagar	Uttar Pradesh
2	"District Land Acquisition Officer "	West Champaran	Bihar

[F. No. W/Con/247/CTE-TOI/LandAcquisition/UP]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/(Con.)